

कार्यालय— अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक—वा0क0अधि0/यु0पी0संशोधन)/ /2020, लखनऊ:: दिनांक : : 08: जनवरी:-2020,

—:: संशोधित आदेश ::—

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-2103/19 दिनांक 16.12.19 द्वारा दिनांक 13.01.2020 से दिनांक 18.01.2020 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, व पीठ-2, नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम नोएडा (न्यायिक) एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, नोएडा (विभागीय) को सम्मिलित करते हुए नोएडा में खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, नोएडा द्वारा पत्रांक-27/2020 दिनांक 07.01.2020 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि उनकी आई आई पी ए नई दिल्ली में दिनांक 13.01.2020 से दिनांक 17.01.2020 तक ट्रेनिंग होनी है।

अतः सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, नोएडा द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए नोएडा में दिनांक 13.01.2020 से दिनांक 18.01.2020 के स्थान पर अब दिनांक 20.01.2020 से दिनांक 25.01.2020 तक खण्डपीठ गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/08.01.2020

( नीरजा सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन—वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/ 105 /2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम नोएडा।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय नोएडा।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।